प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515007890101–27

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
(एटा, मैनपुरी, बदायूँ, जे0पी0 नगर, बिजनौर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, गाजीपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, फर्रूखाबाद, इटावा, औरैया तथा ललितपुर जनपदों को छोड़कर)

संख्याः–1/शा0/100/2012–1/252/2012, लखनऊ :: दिनांक 16 नवम्बर, 2012

विषयः–निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए अनुदान–83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0–700.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–456/26–ब0प्र0–2012–100(18)/2012, दिनॉक 12–11–2012 के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत राज्यांश मद में प्राविधानित धनराशि रू0–700.00 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत रू0–700.00 लाख **(रूपया सात करोड़ मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायती राज अधिकारियों के निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09–07–2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो ,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा

7– जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

NBA 83 rajyansh First allot 16-11-2012

8– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा0 20–रा0)–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

9– शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

10– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह 05 तरीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सूनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

13– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

14– प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–16 पर अंकित है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,

( वी0पी0 सिंह )
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/ 100 /1/2012, तददिनॉक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार, लेखा आडिट(प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– विशेष सचिव, वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0 शासन।
6– विशेष सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
7– सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9– उपनिदेशक (पं0), पचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

( मो0 मुस्तफा अन्सारी )
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

NBA .83 rajyansh First allot 16-11-2012

पत्र संख्या–1/शा0/100/2012–1/252/2012 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 का संलग्नक

# निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुसूचित जातियों हेतु राज्यांश मद में धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र.सं. | जनपद का नाम | राज्यांश मद में धनराशि का आवंटन | कोषागार का प्रगामी योग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मेरठ | 2.00 | **2.00** |
| 2 | बागपत | 3.27 | **3.27** |
| 3 | गाजियाबाद | 4.36 | **4.36** |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | 2.78 | **2.78** |
| 5 | बुलन्दशहर | 4.50 | **4.50** |
| 6 | सहारनपुर | 2.49 | **2.49** |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 3.75 | **3.75** |
| 8 | आगरा | 13.82 | **13.82** |
| 9 | अलीगढ़ | 5.32 | **5.32** |
| 10 | हाथरस | 4.44 | **4.44** |
| 11 | एटा | 0.00 | **0.00** |
| 12 | मैनपुरी | 0.00 | **0.00** |
| 13 | मथुरा | 6.68 | **6.68** |
| 14 | फिरोजाबाद | 1.26 | **1.26** |
| 15 | कांशीरामनगर | 10.92 | **10.92** |
| 16 | बरेली | 3.04 | **3.04** |
| 17 | बदायू | 0.00 | **0.00** |
| 18 | पीलीभीत | 4.79 | **4.79** |
| 19 | शाहजहानपुर | 6.73 | **6.73** |
| 20 | मुरादाबाद | 8.87 | **8.87** |
| 21 | ज्योतिबाफूलेनगर | 0.00 | **0.00** |
| 22 | रामपुर | 20.32 | **20.32** |
| 23 | बिजनौर | 0.00 | **0.00** |
| 24 | लखनऊ | 0.00 | **0.00** |
| 25 | रायबरेली | 7.06 | **7.06** |
| 26 | हरदोई | 0.00 | **0.00** |
| 27 | उन्नाव | 0.00 | **0.00** |
| 28 | सीतापुर | 15.87 | **15.87** |
| 29 | लखीमपुर खीरी | 18.03 | **18.03** |
| 30 | फैजाबाद | 0.00 | **0.00** |
| 31 | अम्बेडकर नगर | 19.14 | **19.14** |
| 32 | सुल्तानपुर | 0.00 | **0.00** |
| 33 | बाराबंकी | 70.61 | **70.61** |
| 34 | गोण्डा | 0.00 | **0.00** |
| 35 | बलरामपुर | 0.00 | **0.00** |
| 36 | बहराइच | 36.98 | **36.98** |
| 37 | श्रावस्ती | 0.00 | **0.00** |

| क्र.सं. | जनपद का नाम | राज्यांश मद में धनराशि का आवंटन | कोषागार का प्रगामी योग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | इलाहाबाद | 6.93 | **6.93** |
| 39 | कौशाम्बी | 0.00 | **0.00** |
| 40 | फतेहपुर | 7.18 | **7.18** |
| 41 | प्रतापगढ़ | 4.09 | **4.09** |
| 42 | वाराणसी | 0.58 | **0.58** |
| 43 | चन्दौली | 15.67 | **15.67** |
| 44 | गाजीपुर | 0.00 | **0.00** |
| 45 | जौनपुर | 40.88 | **40.88** |
| 46 | मिर्जापुर | 7.54 | **7.54** |
| 47 | सोनभद्र | 0.00 | **0.00** |
| 48 | संतरविदासनगर | 13.90 | **13.90** |
| 49 | हमीरपुर | 16.55 | **16.55** |
| 50 | बांदा | 18.21 | **18.21** |
| 51 | चित्रकूट | 0.93 | **0.93** |
| 52 | महोबा | 4.58 | **4.58** |
| 53 | गोरखपुर | 6.76 | **6.76** |
| 54 | महाराज गंज | 0.00 | **0.00** |
| 55 | देवरिया | 23.34 | **23.34** |
| 56 | कुशीनगर | 40.81 | **40.81** |
| 57 | बस्ती | 14.85 | **14.85** |
| 58 | सन्त कबीर न0 | 0.00 | **0.00** |
| 59 | सिद्धार्थ नगर | 0.00 | **0.00** |
| 60 | आजमगढ़ | 27.53 | **27.53** |
| 61 | मऊ | 12.55 | **12.55** |
| 62 | बलिया | 19.64 | **19.64** |
| 63 | कानपुर नगर | 15.90 | **15.90** |
| 64 | रमाबाई नगर | 56.64 | **56.64** |
| 65 | फर्रूखाबाद | 0.00 | **0.00** |
| 66 | कन्नौज | 3.84 | **3.84** |
| 67 | इटावा | 0.00 | **0.00** |
| 68 | औरैया | 0.00 | **0.00** |
| 69 | झांसी | 54.76 | **54.76** |
| 70 | ललितपुर | 0.00 | **0.00** |
| 71 | जालौन | 9.31 | **9.31** |
| | योग | **700.00** | |

( ₹ सात करोड़ मात्र )

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या–456/26–ब0प्र0–2012–100(18)/2012

प्रेषक,

एन0एच0रिजवी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊ दिनांक : 12 नवम्बर/2012

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0 700.00 लाख अवमुक्त किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/1040 /2012–5/04/2012, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–700. लाख में से राज्यांश के मद में शतप्रतिशत धनराशि रु0–700.00 लाख (रुपया सात करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1– 1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा ।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा.20–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1301../दस–2012 दिनांक 08.11.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(एन0एच0रिजवी)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Rizvi

(एन0एच0रिजवी)
उप सचिव।

शासनादेश सं० 456 /26-वि०प्र०-2012-100(15)/2012,
दिनांक 12 नवम्बर, 2012 का संलग्नक।

## पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

## निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुसूचित जातियों हेतु राज्यांश का प्रस्ताव

अनुदान संख्या–83

| क्र.सं. | जनपद का नाम | राज्यांश की प्रस्तावित धनराशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मेरठ | 2.00 |
| 2 | बागपत | 3.27 |
| 3 | गाजियाबाद | 4.36 |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | 2.78 |
| 5 | बुलन्दशहर | 4.50 |
| 6 | सहारनपुर | 2.49 |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 3.75 |
| 8 | आगरा | 13.82 |
| 9 | अलीगढ़ | 5.32 |
| 10 | हाथरस | 4.44 |
| 11 | एटा | 0.00 |
| 12 | मैनपुरी | 0.00 |
| 13 | मथुरा | 6.68 |
| 14 | फिरोजाबाद | 1.26 |
| 15 | कांशीरामनगर | 10.92 |
| 16 | बरेली | 3.04 |
| 17 | बदायू | 0.00 |
| 18 | पीलीभीत | 4.79 |
| 19 | शाहजहानपुर | 6.73 |
| 20 | मुरादाबाद | 8.87 |
| 21 | ज्योतिबाफूलेनगर | 0.00 |
| 22 | रामपुर | 20.32 |
| 23 | बिजनौर | 0.00 |
| 24 | लखनऊ | 0.00 |
| 25 | रायबरेली | 7.06 |
| 26 | हरदोई | 0.00 |
| 27 | उन्नाव | 0.00 |
| 28 | सीतापुर | 15.87 |
| 29 | लखीमपुर खीरी | 18.03 |
| 30 | फैजाबाद | 0.00 |
| 31 | अम्बेडकर नगर | 19.14 |
| 32 | सुल्तानपुर | 0.00 |
| 33 | बाराबंकी | 70.61 |
| 34 | गोण्डा | 0.00 |

---2